कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला देवास म.प्र.

क्रमांक /स्था/भू.अभि/2018 देवास,दिनांक /05/2018

विज्ञप्ति

पटवारी चयन परीक्षा 2018 में चयनित उम्मीदवारों के छः माह का प्रशिक्षण माह जून से प्रारंभ होगा। प्रशिक्षण में 173 प्रशिक्षुओं के सम्मिलित होने की संभावना है, प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजन/नाश्ता चाय आदि की व्यवस्था हेतु बंद लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म कार्यालयीन समय में अधीक्षक भू-अभिलेख देवास से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म दिनांक 17.05.2018 को शाम 4:00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। निविदा की शर्तो का अवलोकन कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख देवास में किया जा सकता हैं।

डिप्टी कलेक्टर,
जिला देवास,म.प्र.

पटवारी चयन परीक्षा 2017-18 चयनित उम्मीदवारों हेतु भोजन एवं नाश्तें की व्यवस्था हेतु निविदा

1- नाम निविदाकार :- ....

2- निवास का पूरा पता :- ....

3- दूरभाष क्रमांक :- ....

4- अगर निविदाकार फर्म या संस्था है
तो उसका पंजीयन एवं विवरण :- ....

5- शासकीय/अर्द्धशासकीय/मैस संचालन
का पूर्ण अनुभव (प्रमाण पत्र सहित) :- ....

6- आयकर पंजीयन क्रमांक :- ....

7- विक्रयकर पंजीयन क्रमांक :- ....

छात्रावास में प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिवस में प्रदाय की जाने वाली खाघ सामग्री तथा अन्य व्यवस्था का विवरण

सं.क्रं.	नाम खाघ पदार्थ	वस्तुओं का विवरण क्वालिटी/ब्रांड सहित	मात्रा	दरें
1	चाय (6.00 - 8.00 am)	रेड लेबल/ताज	150 ML	8/-
2	कॉफी	नैराकेफे/ब्रू	150 ML	15/-
3	नाश्ता	पराठा सादा/आलू पराठा अथवा कचौडी/समोसा अथवा बटर/ जैग टोस्ट, डोसा, पोहा नमकीन सेव के साथ (क्वार्टर प्लेट) टोस्ट/कटलेट/सैंडविच	डोसा तथा पोहा को छोडकर 2 नग प्रतिदिन बदल बदल कर	20/-
4	भोजन दोपहर का (लंच) (1.30pm to 2.30pm)	दाल, चावल, सब्जी, दो रोटी, सलाद, पापड, रायता / दही, अचार स्वीट डिश	थाली फुल डाइट	50/-
5	चाय तथा बिस्किट शाम पांच बजे	रेड लेबल/ ताज	150 ML	15/-
6	भोजन रात का (डिनर) (8.00pm to 8.30pm)	दाल, चावल, सब्जी, सूखी, रसीली, रोटी, सलाद, पापड, स्वीट डिश	थाली फु0ल डाइट	50/-
				158/-

पटवारी चयन परीक्षा 2017-18 चयनित उम्मीदवारों हेतु भोजन एवं नाश्तें की व्यवस्था हेतु निविदाकारों के लिये आवश्यक शर्ते

1- प्रशिक्षुओं की कुल संख्या मे से भोजन एवं चाय नाश्ता प्राप्त करने वालों की संख्या कम हो सकती है।

2- संबंधित संस्था का अनुबंध नियत होने के उपरांत रूपये 20000/- (बीस हजार मात्र) की धरोहर राशि एफ.डी. के माध्यम से कलेक्टर भू-अभिलेख जिला देवास के पक्ष में प्रस्तुत करना होगी। फर्म द्वारा अनुबंध निरस्त करने पर धरोहर राशि शासनहित में राजसात कर ली जावेगी।

3- संस्था को उक्त कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4- संस्था द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिये जिसका समय-समय पर सत्यापन खाघ विभाग एवं समिति द्वारा कराया जावेगा, खाघ सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर अथवा खाघ विभाग के मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

5- खाघ सामग्री निर्मित करने वाले कर्मचारी मेडिकल रूप से फिट है का प्रमाण-पत्र संस्था का उत्तरदायित्व होगा।

6- भोजन का निर्माण स्वच्छ वातावरण में होना चाहिये।

7- संस्था द्वारा एक पंजी संधारित करनी होगी, जिसमें भुगतान का हिसाब-किताब संस्था प्रमुख द्वारा रखा जा सकेगा।

8- प्रशिक्षणार्थियों के अवकाश दिवस का भुगतान नहीं किया जावेगा।

9- निविदा आवेदन पत्र में दर्शायी गई सामग्री/व्यवस्थाओं की कुल राशि के योग के आधार पर न्यूनतम दर का चयन किया जावेगा। निविदा आवेदन में प्रत्येक सामग्री/व्यवस्थाओं की दर प्रतिवेदित करना अनिवार्य है।

10- प्रबंध समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

11- संबंधित संस्था यदि निर्धारित मापदण्ड अनुरूप व्यवस्थाऐं नहीं कर पाती है तो संस्था का बगैर किसी पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

12- भोजन/नाश्ता हेतु होने वाले व्यय का भुगतान संबंधित प्रशिक्षु द्वारा किया जावेगा।

13- प्रशिक्षणार्थियों को मीनू अनुसार ही भोजन दिया जावेगा।

14- प्रतिदिन भोजन नाशता चाय मीनू समयसारणी अनुसार दिया जावेगा।

15- संबंधित संस्था द्वारा 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत करना होगा।

16- संबंधित संस्था द्वारा आयकर पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना होगा।

डिप्टी कलेक्टर,
जिला देवास,म.प्र.

d/letter/2017